



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052022-235528
CG-DL-E-04052022-235528

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2022/वैशाख 14, 1944

No. 317]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2022/VAISAKHA 14, 1944

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2022

सा.का.नि. 332(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, भंडारी (तकनीकी) श्रेणी-II, सहायक भंडारी (तकनीकी) और भंडार लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उसका संबंध सहायक भंडारी (तकनीकी) और भंडार लिपिक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में सहायक भंडारी (तकनीकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, सहायक भंडारी (तकनीकी), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम 2022 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं — वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक भंडारी (तकनीकी)	27* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 4 (25500-81100 रू.)	अचयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच* *(अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद की दशा में, यह 18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच होगी।)	(क)(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों, स्वशासी या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या बैंकों या भारत	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 75% सीधी भर्ती द्वारा; (ii) 25% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	के स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध किसी निजी क्षेत्र के संगठन के किसी भंडार या प्रतिष्ठान को संभालने और खातों के रख-रखाव में दो वर्ष का अनुभव। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में विज्ञान या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या व्यवसाय अध्ययन या लोक प्रशासन में बैचलर डिग्री। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
--	---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 02 (19900-63200 रु.) में ऐसे भंडार लिपिक जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है और जो भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित "माल और सेवाओं की खरीद, सूची प्रबंधन और भंडार के निपटान से संबंधित प्रक्रिया" के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो – अध्यक्ष ; 2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो- सदस्य; 3. अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो- अध्यक्ष; 2. ज्येष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य ; 3. उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 22/1/2022- खान III]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2022

G.S.R. 332(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Store Keeper (Technical) Grade-II, Assistant Store Keeper (Technical) and Store Clerk, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010, in so far as it relates to the posts of Assistant Store Keeper (Technical) and Store Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Store Keeper (Technical) in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Assistant Store Keeper (Technical), Group 'C' Post, Recruitment Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Store Keeper (Technical).	27 * (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level 04 in pay matrix (Rs.25500-81100).	Non - selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 years and 25 years* *(In case of post being filled up by all India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years).	(A)(i) 12th Pass from a recognised Board or University. (ii) Two year experience in handling stores and keeping accounts in a store or a concern of Central Government or State Government or Union territories, autonomous or statutory organisation, Public Sector Undertakings or University or Banks or in a Private Sector Organisation listed on the stock exchange(s) of India.	Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 75 % by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 25% by promotion failing which by direct recruitment.

(The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	or Bachelor's degree with Science or Commerce or Economics or Statistics or Business Studies or Public Administration as a subject from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion :

Store Clerk in Level 02 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of "Procedure related to procurement of goods and services, inventory management and disposal of stores" conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines –Chairman; 2. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Member; 3. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chief Administrative Officer, Indian Bureau of Mines – Chairman; 2. Senior Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines –Member; 3. Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Not applicable.

[F. No. 22/1/2022-M.III]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.